न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—186/2013/223 (2013/00011)

1. प्रेमकुमार पुत्र भोलाशंकर, जाति यादव, निवासी सूतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. विरेन्द्रसिंह पुत्र भोलाशंकर, जाति यादव, निवासी सूतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर हाल निवासी भगवान स्वरूप यादव मास्टर साहब का मकान, यादव मौहल्ला, श्रीनगर, उप—तहसील श्रीनगर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, श्रीनगर, उप तह0 श्रीनगर, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

4. उमेश कुमार पुत्र भोलाशंकर, जाति यादव, निवासी सूतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
5. कोशल कुमार पुत्र भोलाशंकर, जाति यादव, निवासी सूतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 7.5.2013 अंतर्गत वाद संख्या 222/2011.

उपस्थितः—

1. श्री नौरतमल जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुमित जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.
4. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
5. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 4 स्वंय उपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—25.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 7.5.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में राजस्व वाद अंतग्रत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसमें विधिवत् वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही वादी का वाद दिनांक 7.5.2013 को निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 की आदेशिका के अनुसार दिनांक 19.10.2012 को वास्ते तनकी कायम हेतु तय की गई थी तद्नूकूल दिनांक 5.11.2012 को विवाद बिन्दु कायम किये जाकर साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 20.12.2012 नियत की गई तत्पश्चात् वाद में आगामी दिनांक 24.1.2013 साक्ष्य हेतु नियत की गई एवं आदेशिका के अनुसार दिनांक 24.1.2013 को पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर दौरे पर होने की वजह से तारीख पेशी तब्दील कर आदेशिका में सील लगाई गई इसके बाद दिनांक 27.2.2012 को भी कार्य स्थगन होने से तारीख पेशी तब्दील की जाकर सील लगाई गई । तत्पश्चात् दिनांक 7.5.2013 को वादी अपीलांट के अधिवक्ता ने अधी0न्याया0 के समक्ष आवेदन पत्र पेश निवेदन किया कि वादी उसके रिश्तेदार में शादी होने के कारण आज उपस्थित नहीं हो सकता है परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिनांक 7.5.2013 को ही साक्ष्य वादी बंद कर वाद साक्ष्य के अभाव में निरस्त कर दिया जबकि अधी0न्याया0 जाप्ता दीवानी के संशोधित प्रावधानों के अनुसार तीन अवसर साक्ष्य हेतु प्रदान किये जाने का प्रावधान है किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । अधी0न्याया0 का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरसत किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वे वादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करे ।

5. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.10.2012 को पत्रावली वास्ते तनकी कायम हेतु नियत की तथा दिनांक 5.11.2012 को विवाद बिन्दु कायम किये गये इसके पश्चात् साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 20.12.2012, 24.1.2013, 27.2.2012, 8.4.2013 एवं 7.5. 2013 नियत थी किन्तु उक्त तिथियों को पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर एवं राजस्व बार का स्थगन होने से पत्रावली में सील लगाकर तारीख तब्दील की गई है तथा दिनांक 7.5.2013 को वादी अपीलांट के अधिवक्ता के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रिश्तेदारी में शादी होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकूगां परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 7.5.2013 को वादी की साक्ष्य ही बंद कर वाद को ही निरस्त कर दिया । इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा वादी/अपीलांट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं न कर वाद को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर भी पक्षकारान को अपना पक्ष व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा वादी/अपीलांट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न देकर प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय दिनांक 7.5.2013 को खारिज

किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर